

4-7-22

पत्रावली भेरा। काहीया अधिकाता डय।  
 काहीया अधिकाता श्री जानाराध बुनिया आता  
 प्रथम पत्र ~~पर~~ (काय दावा पर (धारा 188 RT Act)  
 मे नोट उस जादिर का निवेदन किया कि उक्त  
 प्रकरण आयालय मे नही चलाना चाहता हूँ।  
 अतः दावा जादिर नोट उस खारिज करमावे।  
 पत्रावली का अक्लोनन किया गया, सुना गया।  
 अधिकाता एवं अपन प्रकरा नही चलाना  
 चाहे ही अतः प्रथम पत्र/दावा (धारा 188  
 RT Act / 202 Act) जादिर नोट उस  
 रानी तर पर खारिज किया जाया है पत्रावली  
 केसल शुमाट होयत दाखिल दफतर है।

Not Pres  
 46

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
 (फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

